प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **50/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. सोहन लाल कोठारी पताः वार्ड न. 8, कन्याशाला के पास, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 20.02.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/50/25/345–47 दिनांक 03.04.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/49 दिनांक 23.04.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के समक्ष सूचना चाहने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। चाही गई सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित होने से आवेदन पत्र इस कार्यालय में अंतरित किया जाकर वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। आवेदन के अंतर्गत चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/2025/37 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा सूचित किया जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार कार्यालय के कार्मिकों की माह जनवरी 2025 की उपस्थिति पंजिका एवं राजकार्य से बाहर रहे कार्मिको की ऑन ड्यूटी की प्रमाणित प्रतियां चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने पत्रांक 37–38 दिनांक 18.03.2025 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिनियम की धारा 8(1)(J) के अदेय होने के संबंध में सूचित किया गया। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर